न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :–19/2024 (जी सी एम एस नम्बर 2024/42)

उनवानी प्रकरण :–

श्रीमती कमलेश पत्नी राजेश कौशिक जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम फूलपुर हाल निवासी मंनिया जिला धौलपुर राज0 ————————**अपीलान्ट**

बनाम्

1–नायवतहसीलदार मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर
2–केदारनाथ पुत्र भोगीराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम फूलपुर तहसील मंनिया जिला धौलपुर ————————**रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 3557
दिनांक11.06.2018बॉके ग्राममंनिया
आदेशनायव तहसीलदार मंनिया

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :–श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :–पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 08.10.2024**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि खाता संख्या 105 की आराजी खसरा नम्बर 2076/317 रकवा 04 विस्वा, 2078/365 रकवा 15 विस्वा, 2080/369 रकवा 19 विस्वा सम्पूर्ण हिस्से का एवं खाता संख्या 724 की आराजी खसरा नम्बर 958 रकवा 01 विस्वा में से 1/32 हिस्से का तथा खाता संख्या 726 की आराजी खसरा नम्बर 957 रकवा 2 वीधा 1 विस्वा में से 1163/24800 हिस्से का दानपत्र रैस्पो0संख्या–2 केदारनाथ द्वारा दिनांक 23.03.2018 को तस्दीक कराकर पंजीयन कराया था जिसे अपीलान्ट ने स्वीकार किया था

और आराजी को ग्रहण किया तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त दानपत्र को अपीलान्ट ने पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राजात कराने सौंप दिया था जिसके आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 3557 ग्राम मनिया भरते समय अपीलान्ट के पति का नाम राजेश कौशिक के स्थान पर गलत रूप से राकेश कौशिक भर दिया जो गलत व अवैध था और नायब तहसीलदार मनिया द्वारा दिनांक 11.06.2018 को उक्त नामान्तकरण संख्या 3557 ग्राम मनिया को गलत रूप से स्वीकृत कर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य आदेश था। अपीलान्ट के पति का नाम राजेश कौशिक है और यही नाम दानपत्र में लिखा हुआ था फिर अपीलान्ट के पति का नाम राकेश कौशिक किस आधार पर किया गया यह कार्यवाही भूल को दर्शाता है। अपीलाधीन नामान्तकरण को स्वीकृत करते समय ना तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिश ही दिया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ होने के कारण उक्त नामान्तकरण खारिजी के है।अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में हुई उक्त सदभावी लिपिकीय त्रुटि का ज्ञान अपीलांट को सर्वप्रथम अपनी आराजी के बावत भारत सरकार की योजना " किसान सम्मान निधि " का लाभ प्राप्त करने के लिये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कराया तथा राजास्व रिकार्ड एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल तहसील मंनिया से दिनांक 01.08.2024 को मिलने पर उक्त अवैध व गलत आदेश की जानकारी हुई। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे शून्य आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3557 वांके ग्राम मंनिया आदेश नायव तहसीलदार मंनिया दिनांक 11.06.2018 मे वर्णित अपीलान्ट के पति का नाम राकेश कौशिक के स्थान पर राजेश कौशिक दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 3557दिनांक 11.06.2018 वांके ग्राम मंनिया, फोटोप्रति दानपत्र दिनांक 23.03.2018, फोटोप्रति आधारकार्ड कमलेश कौशिक पत्नी राजेश कौशिक मंनिया, नकल जमाबन्दी संबत 2076–79 खाता संख्या 93, 814, 813, ग्राम मंनिया पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 स्वंय पैरोकार सरकार एवं रैस्पो0सं02 स्वंय उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत

करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया किपटवारी हल्का ने दानपत्र का नामान्तकरण संख्या 3557 ग्राम मंनिया भरत समय अपीलान्ट के पति का नाम राजेश कौशिक के स्थान पर गलत रूप से राकेश कौशिक भर दिया जो गलत व अवैध था और नायव तहसीलदार मंनिया द्वारा दिनांक 11.06.2018 को उक्त नामान्तकरण संख्या 3557 ग्राम मंनिया को गलत रूप से स्वीकृत कर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य आदेश था। अपीलान्ट के पति का नाम राजेश कौशिक है और यही नाम दानपत्र में लिखा हुआ था फिर अपीलान्ट के पति का नाम राकेश कौशिक किस आधार पर किया गया यह कार्यवाही भूल को दर्शाता है। अपीलाधीन नामान्तकरण में लिपिकीय त्रुटिवश अपीलान्ट के पति का नाम राजेश कौशिक के स्थान पर राकेश कौशिक अंकित कर दिया है जबकि दानपत्र में अपीलान्ट के पति का नाम राजेश कौशिक अंकित है जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण आदेश मे अपीलान्ट के पति का नाम राकेश कौशिक के स्थान पर राजेश कौशिक अंकित किये जाने के आदेश नायव तहसीलदार मंनिया को दिये जावे।

रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट के पति का नाम राजेश कौशिक के स्थान पर राकेश कौशिक अंकित कर दिया है जॉच का विषय है। नायव तहसीलदार द्वारा जॉच करने के उपरान्त नाम का अंकन शुद्व किया जा सकता है। प्रकरण नायव तहसीलदार मंनिया को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3557 दिनांक 11.06.2018 वाके ग्राम मंनिया में वर्णित आराजीयात कारैस्पो0संख्या–2 केदारनाथ द्वारा दिनांक 23.03.2018 को अपीलान्ट कमलेश पत्नी राजेश कौशिक के हक में दानपत्र के आधार पर खोले गये अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट कमलेश के पति का नाम राजेश कौशिक के स्थान पर राकेश कौशिक अंकित कर दिया गया है जो गलत है जिसे शुद्व किया जावे। इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नकल नामान्तकरण संख्या 3557 दिनांक 11.06.2018 वाके ग्राम मंनिया तहसील मंनिया का अवलोकन किया गया उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट कमलेश के पति

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

का नाम राजेश कौशिक के स्थान पर राकेश कौशिक अंकित किया गया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दानपत्र दिनांक 23.03.2018 में अपीलान्ट कलक्टर के पति का नाम राजेश कौशिक अंकित है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण प्रकरण तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाकर नायब तहसीलदार मनिया को अपीलान्ट के पति का सही नाम की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3557 दिनांक 11.06.2018 वांके ग्राम मनिया तहसील मनिया निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार मनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अपीलान्ट के हक में हुये दानपत्र दिनांक 23.03.2018 के आधार पर अपीलान्ट के पति का नाम सही अंकित करते हुये पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें।पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार मनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर